उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ

आदेश

याचिका अनुभाग एवं अवमानना अनुभाग के समस्त कर्मियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे लम्बित वादों/ याचिकाओं जिसमें मा0 उच्च न्यायालय अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है ऐसे वादों/ याचिकाओं को पीठों के समक्ष सूचीबद्ध न करें जब तक कि मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश समाप्त न कर दिया जाय।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन याचिकाओं/वादों में कम से कम तीन माह की तिथि लगाकर निबन्धक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते समय प्रत्येक निर्धारित तिथि को यह परीक्षण किया जाय कि मा0 उच्च न्यायालय अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेशों को समाप्त तो नहीं किया गया है यदि किसी वाद/याचिका में मा0 उच्च न्यायालय अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को समाप्त (Vacate) कर दिया गया हो तो ऐसे वाद/याचिकायें सम्बन्धित पीठों के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध कर दिया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

04/10/16

(जगदीश प्रसाद)
अध्यक्ष

पत्रांक – 03 /सी0एच0/पी0एस0/16, दिनांक- 4/10/2016

प्रतिलिपिः

1. निबन्धक, राज्य लोक सेवा अधिकरण को सूचनार्थ।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सूचनार्थ।
3. प्रशासनिक अधिकारी याचिका अनुभाग एवं अवमानना अनुभाग उ0प्र0रा0लो0से0अधि0 को अनुपालनार्थ।